

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 62/2020, जिला दौसा

1. सुनीता पत्नि रामरतन उर्फ प्रेमरतन जाति मीना निवासी महेश्वरा खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा।

— अपीलान्त

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, दौसा।

— रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरुद्ध अन्तर्गत धारा 76 एल.आर.एक्ट बनाराजगी जिला कलेक्टर दौसा निर्णय दिनांक 22.03.2017 व अपील संख्या 16/2017 उनवानी सुनीता बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट पर पारित किया गया है।

उपस्थित—

1. श्री विनोद कुमार विजय, वकील अपीलान्त
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पों नं. 1

निर्णय

दिनांक —14.12.2022

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलेक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 22.03.2017 के खिलाफ दिनांक 18.05.2017 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि नायब तहसीलदार दौसा ने दिनांक 28.09.2016 को ग्राम महेश्वराखुर्द तहसील दौसा के आ0 ख0 नं0 462 रकबा 0.01 किस्म जमीन गै0मु0 नाला पर अपीलांत को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली एवं पेनल्टी का आदेश पारित कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलांत ने उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील सुनवाई हेतु अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा के पेश की गई, जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.03.2017 द्वारा खारिज किये जाने पर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश नायब तहसीलदार दौसा दिनांक 28.09.2016 तथा जिला कलेक्टर दौसा द्वारा दिनांक 22.03.2017 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।
3. नायब तहसीलदार दौसा जिला दौसा दिनांक 28.09.2016 तथा जिला कलेक्टर दौसा द्वारा दिनांक 22.03.2017 से व्यथित होकर अपीलान्तस द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय नायब तहसीलदार दौसा दिनांक 28.09.2016 तथा जिला कलेक्टर दौसा द्वारा दिनांक 22.03.2017 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्त के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि पटवारी हल्का ने अपीलान्त के खिलाफ एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि वाके ग्राम महेश्वरा खुर्द तहसील दौसा के खसरा नम्बर 462 के 0.01 है0 रकबे पर पक्का मकान पूर्व से ही बना रखा है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्त को नोटिस जारी किया और अपीलान्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हाजिर आकर अपीलान्त ने अपना जवाब पेश किया और जवाब पेश करने के बाद दिनांक 28.09.2016 को अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को यह कहकर कि तुम्हारा कब्जा पुराना है और उक्त जमीन सिवायचक है और गलती से गैर मुमकिन नला अंकित हो रहा है इसलिये उक्त भूमि का तुम्हारे

हक में पटटा जारी करने एवं तुम्हारे हक में नियमित करने हेतु पत्रावली को आगे भेज दिया जावेगा उक्त कथन कहकर के अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को भेज दिया लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने बिना निर्णय सुनाये बिना पीठ पीछे से उपरोक्त अनुसार निर्णय नहीं करके तथा उक्त भूमि से अपीलान्ट के खिलाफ बेदखल करने एवं 500 रूपये पेनेल्टी का आदेश दिनांक 28.09.2016 को ही पारित कर दिया एवं भौतिक रूप से अतिक्रमण हटाकर फर्द बेदखली पेश करने हेतु पटवारी गिरदावर को आदेश दे दिया जिसकी अपीलान्ट को कतई जानकारी नहीं थी जानकारी होते ही अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा के समक्ष उक्त आदेश के विरुद्ध अपील पेश की जिसमें जिला कलेक्टर दौसा ने बिना रिकार्ड को देखे बिना तथा अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किये बिना तथा बिना पश्चातवर्ती अतिक्रमण हुए बिना तथा प्रार्थी का काफी लम्बा कब्जा होने के तथ्य को नजरअंदाज करते हुए बिना तथा प्रार्थी का काफी लम्बा कब्जा होने के तथ्य को नजरअंदाज करते हुए अपील को खारिज कर दिया। उक्त भूमि गैर मुमकिन नला की भूमि नहीं है बल्कि सिवाय चक भूमि है जो पूर्व में अपीलान्ट के बुर्जुगों के नाम खातेदारी मे रही है लेकिन बुर्जुगों के नाम की खातेदारी की भूमि का रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण पेश नहीं किया जा सका है लेकिन यदि सिवाय चक भी माना जावे तो उक्त भूमि पर अपीलान्ट का बाडा मकान 50 वर्ष से भी अधिक समय से बने हुए है राजस्थान सरकार के सर्कुलर अनुसार अपीलान्ट उक्त भूमि का अपने हक में नियमन करवाकर पटटा प्राप्त करने का अधिकारी है। उक्त भूमि को आबादी में परिवर्तित करने हेतु ग्राम पंचायत ने अनेकों बार प्रस्ताव लेकर और श्रीमान कलेक्टर महोदय के समक्ष भिजवा रखा है और श्रीमान कलेक्टर महोदय ने भी उक्त भूमि को आबादी में परिवर्तित करने हेतु प्रस्ताव मांग रखे है पटवारी हल्का ने सन् 1999 में ही उक्त भूमि को आबादी योग्य मानकर अपनी रिपोर्ट दे रखी है तथा नला की भूमि नहीं माना है उक्त भूमि का गैर मुमकिन नाले की भूमि के रूप में इन्द्राज गलत हुआ है। उक्त भूमि का अपीलान्ट का बाडा व मकान 40 वर्ष पुराना बना हुआ है इसका प्रमाण यह है कि ग्राम पंचायत ने अपने प्रस्ताव में अपीलान्ट के मकान बाडा को 40 वर्ष पुराना बना होना माना है और दूसरा प्रमाण यह है कि उक्त भूमि में अपीलान्ट के बाडे मकान का इन्द्राज खसरा परिवर्तनशील संवत 2047 से लेकर अब तक अपीलान्ट के भाई रामरतन उर्फ प्रेमरतन के नाम का इन्द्राज है उक्त सभी दस्तावेजात अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये थे और जवाब पेश किया था किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना अपना निर्णय पारित किया है और ऐसे निर्णय की अपील को खारिज करने में जिला कलेक्टर दौसा ने कानूनी गलती की है, निरस्त किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधि विरुद्ध होने से अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा आदेश दिनांक 22.03.2017 एवं नायब तहसीलदार दौसा आदेश दिनांक 28.09.2016 निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट नं. 1 राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरादवर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जांच के हस्ताक्षर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलान्ट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। अपीलान्ट नियत दिनांक को अधिनस्थ न्यायालय में स्वयं उपस्थित हुए हैं। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में पुरा अतिक्रमण होना व पक्का मकान बनाकर कब्जा करना बताया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधिनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अधिनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जाँच गिरदावर से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जाँच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट द्वारा पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट का कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलान्ट को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट स्वयं उपस्थित हुए हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर अपीलांट के हस्ताक्षर मौजूद हैं। अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि उनको सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया व पीछे से आदेश पारित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में "पक्का मकान बनाकर" अतिक्रमण करना बताया है। साथ ही अपनी रिपोर्ट की कैफियत में पक्का मकान पूर्व से ही बना होना अंकित किया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अपीलांट का यह कथन कतई उचित नहीं है कि विवादित भूमि आबादी की भूमि हैं। हांलाकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त भूमि को आबादी में किये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं होने बाबत पत्र की छाया प्रति संलग्न की है। किंतु आबादी हेतु प्रस्ताव भिजवाया जाने से ही भूमि की किस्म परिवर्तन नहीं होती है। जब तक उस पर नियमानुसार आदेश पारित नहीं हो। अपीलांट द्वारा भूमि की किस्म गलत दर्ज होना अपनी अपील में कहकर आये है। यदि भूमि नाले की नहीं है, तो उनको सक्षम न्यायालय में इसके संबंध में चाराजोही करनी चाहिए। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बतौर सबूत पेश करना चाहिए था किंतु ऐसा उन्होंने नहीं किया। ऐसी स्थिति में पश्चातवर्ती अतिक्रमी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करना नितांत आवश्यक है। अतिक्रमी द्वारा सरकारी भूमि पर बिना अधिकार के कब्जा कर रखा है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा गैर मुमकिन नाले की भूमि पर पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। अपीलांट द्वारा इन्द्राज दुरुस्ती बाबत कोई वाद किसी सक्षम न्यायालय में दायर कर रखा है तो जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा उसके पक्ष में निर्णय नहीं हो जाता है। तब तक उसे उक्त विवादित भूमि पर अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा प्रस्तुत अपील आधारहीन होने के कारण निरस्त की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किये गये हैं, विधिसम्मत पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाने हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.03.2017 पारित किया है। जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होती है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर दौसा दिनांक 22.03.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
अति सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर